

मुख्य अभियंता(दक्षिण) का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक:-भवन/मु०अभि०(द०)यो०सू०अधि०-10-02/2017-15/अम/पटना, दिनांक-27/11/2017

प्रेषक,

(सुनील कुमार)
मुख्य अभियंता(दक्षिण)।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,
दक्षिण बिहार उपभाग, भवन निर्माण विभाग,

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार सिंह का
सूचनावेदन दिनांक-27.12.2016 के हस्तान्तरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना का पत्रांक-216 (भ०) अनु० दिनांक-11.01.2017 से हस्तान्तरित होकर प्राप्त
सूचनावेदन दिनांक-27.12.2016 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपको हस्तांतरित किया
जाता है कि आवेदक द्वारा मांगी गई वांछित सूचना सीधे आवेदक को निर्धारित अवधि के
अन्दर उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव-4-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, भवन
निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराया जाय।

कृपया इसे आवश्यक समझा जाय।

अनु०-यथोक्त।


विश्वासभाजन


(सुनील कुमार)

✓ मुख्य अभियंता (दक्षिण)।
पटना, दिनांक - 27/11/17

ज्ञापांक:- 151(5)


प्रतिलिपि- अवर सचिव-4-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं
श्री अनिल कुमार सिंह, A-302 राजपति अपार्टमेंट मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आशियाना दीघा रोड,
पटना-14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।




✓ मुख्य अभियंता (दक्षिण)।

ज्ञापांक:- 151(5)

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, भागलपुर/मुंगेर/आरा/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कारवाई हेतु प्रेषित।



✓ मुख्य अभियंता (दक्षिण)।



पत्रांक:-भवन/सू०अ०-15/2017..... 216 (11/17)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

गोपाल शरण गोयल,
सरकार के अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
पटना/दक्षिण एवं उत्तर
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक:- 11-1-17

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त श्री अनिल कुमार सिंह का सूचनावेदन
दिनांक-27.12.2016 के हस्तांतरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित श्री अनिल कुमार सिंह, A-302 राजपति अपार्टमेंट,
मजिस्ट्रेट कॉलनी, आशियाना दीघा रोड, पटना-14 से प्राप्त आवेदन दिनांक-27.12.2016 मूल की
छायाप्रति इसके साथ निम्न कारणों से संलग्न किया जाता है।

वांछित सूचना का संबंध इस विभाग से है, लेकिन यह आपके अधीनस्थ मुख्य
अभियंता, पटना/दक्षिण एवं उत्तर तथा आपके क्षेत्राधिकार में है।

अतः इसे आवश्यक कार्यार्थ आपको हस्तांतरित किया जाता है साथ ही यह अनुरोध
है कि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचनायें सीधे आवेदक को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध
कराते हुए इसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी विभागीय पत्र के क्रम में दी जाय।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए
फीस/शुल्क के रूप में 10=00 (दस) रुपये मात्र का भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न किया है जिसे
सरकारी कोषागार/लेखा में जमा किया जा रहा है।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(Handwritten Signature)

(गोपाल शरण गोयल)

सरकार के अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(Handwritten Signature)

(Handwritten Signature)
16/1/17

(Handwritten Signature)
21/1/17

SPEED POST/RUGD POST

प्रपत्र- 'क'

(नियम 3(1)केअं)


सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई०डी० संख्या-.....

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

31173 93

27/12/16



जिसमें,

लोक सूचना पदाधिकारी: सरकार के प्रधान सचिव

विभाग/कार्यालय: स्वयं निर्माण विभाग, पटना

1. आवेदन का नाम- अतिरिक्त सुचना के लिए

2. पुरा संख्या- ए-602

3. मांगी गई सूचना का प्रकार (संलग्न में)

विचार रखने के परिणाम में अधिसूचित भवन निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र
प्रकल्पों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि निविदा सीमित के अधिसूचित एवं
अन्य सदस्यों द्वारा निविदा निष्पादन के किये गये अनुशला के आलीक में
समस्त मुख्य अभियंताओं द्वारा निर्माण कार्य का तुलनात्मक विवरण में
अंकित निदेश एवं शर्तों का उल्लेख करते हुए उपरोक्त किये गये समस्त
कार्यो में शर्त किये गये सिमेंट, हटिल का क्रय रसिद संवेदको द्वारा जमा नहीं
किया जाता है तथा निर्माण कार्य में प्रयुक्त किये गये हटिल का जाँचफल
नहीं कराया जाता है। मैं प्रधान सचिव से जनना चाहता हूँ की निर्माण कार्य
में शर्त किये गये सिमेंट, हटिल का क्रय रसिद सहित निर्माण कार्य में प्रयुक्त
किये गये हटिल का जाँचफल नाँट का अनिवार्य है अन्यथा नहीं
सूचना लोक हित में लोकधन कि कुछ खसोट से संबंधित है छतः सूचना प्रमाणित
का विरुद्ध अधिसूचित में सुधेपा कराना जाए ताकि लोक धाम वास्तु लोकानुसृत
के समझ पेश कर सकु।

Om
30/12/16

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना का
अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 9 एवं 9 के अन्तर्गत सुकरा नहीं है यह
आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।
मैंने वस्तु रूपसे का भारतीय पोस्टल ऑडिट नं. SF 46262C शुल्क को आप में इस
आवेदन में लगा दिया हूँ। (संबंधित वर दिया है।) दि०-08-07-16
6. सूचना के अधिकार अधिनियम के संशोधित नियम के अनुसार आवेदन में साथ
निवेदिता डाक टिकट लगा हुआ एवं रकम चका लिया हुआ लिफाफा संलग्न है।

प्रधान सचिव से आग्रह है की एजारे द्वारा
मांगी गई सूचना अपने कार्यालय के माध्यम
से सूचना पत्र सं०-221 अंकित कर सुधेपा
कराने की कृपया इजाजत जाए।

आवेदक का हस्ताक्षर
अनिल कुमार सिंह
दिनांक- 27/12-2016
पत्र सं०- 221

अनिल कुमार सिंह
A 302 राजपति अकादमी
पॉस्टल कोलोन आशियाना
दिवा पंड. पटना- 4